न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 172 / 2017
जी.सी.एस.एम. नं. 2017 / 00307
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 22.04.2021

1. पूरनसिंह उम्र 68 वर्ष पुत्र श्री नवलसिंह जाति फौजदार निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0।

— प्रार्थी

बनाम

1 अंगूरी उम्र 85 वर्ष पत्नि स्व0 दौजी जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
2 राजनसिंह उम्र 57 वर्ष पुत्र स्व0 दौजी जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
3 निनुआ उम्र 49 वर्ष पुत्र स्व0 दौजी जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
4 विक्रम उम्र 38 वर्ष पुत्रग स्व0 दौजी जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
5 प्रेमा उम्र 54 वर्ष पुत्री स्व0 दौजी जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
6 हीरो उम्र 45 वर्ष पुत्री स्व0 दौजी जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
7 सुगनी उम्र 80 वर्ष पत्नि स्व0 चिम्मन जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
8 मानसिंह उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व. चिम्मन जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
9 सुनीता उम्र 47 वर्ष पत्नि स्व. रघुनाथ जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
10 वासुदेव उम्र 22 वर्ष पुत्र स्व. रघुनाथ जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
11 महेश उम्र 18 वर्ष पुत्र स्व. रघुनाथ जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
12 सोनम उम्र 24 वर्ष पुत्री स्व. रघुनाथ जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:11 IST
Reason: SelfAttested

13 केशव उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व. चिम्मन जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

14 भूरीसिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व. रघुनाथ जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

15 तारा उम्र 52 वर्ष पुत्री स्व. चिम्मन जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

16 सुखवीरी उम्र 32 वर्ष पुत्री स्व. चिम्मन जाति फौजदार निवासी बिलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

17 राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार नदबई

—अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री महाराजसिंह डागुर एवं श्री भगवानसिंह फौजदार(प्रार्थी की और)

श्री महेन्द्रसिंह मीना एवं श्री जगदीशचन्द्र(अप्रार्थीगण की और से)

निर्णय अन्तर्गत धारा **212 आर.टी.ए.**

1. यह कि उपरोक्त उनवानी शीर्षक दावा न्यायालय श्रीमान में पेश कर दिया गया है जिसमें सफलता की पूर्ण उम्मीद है।
2. यह कि आराजी खसरा नम्बरान 602/0.15 , 702/0.05 , 703/0.23 , 719/0.13 , 720/0.11 , 914/0.56 , 915/0.01 वाके ग्राम बीलौठ तहसील नदबई का प्रार्थी खातेदार काश्तकार काबिज है। अप्रार्थीग्ण का इस आराजी के किसी भी भाग से कोई सम्बन्ध नही है। उनके नाम इन्द्राज खातेदारी कतई गलत है। जो विधि एवंत थ्य विरूद्ध हो रहे है।
3. यह कि आराजी वर्णित खण्ड संख्या 2 प्रार्थना पत्र को इस आराजी के सम्बत 2060 से पूर्व के गत खसरा नम्बरान से निम्न प्रकार निर्मित किया है।
   (क)मिलान क्षेत्रफल के अनुसार निम्न प्रकार है।

वर्तमान	गत
602/0.15	435/0.15
702/0.03,703/0.23	519/1–2
719/0.13	534/0–10
720/0.11	535/0–9
914/0.56	[illegible]
915/0.01	691/2–15
1133 मिन/0.52	642/2–1

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:11 IST
Reason: SelfAttested

(ख) यह कि मिलान क्षेत्रफल 2028 के अनुसार निम्न प्रकार पुराने नम्बरान से नये नम्बरान बनाये गये है।

वर्तमान	गत
435/0.10	413/0–19
519/1.05	490/1–14
534/0.10	507/0–16
535/0.09	508/0–14
691/2.05	661/1–18
642 मिन/2–01	6154/3–5

4. यह कि आराजी साविक खसरा नम्बरान 130/0–14, 413/0–19, 490/1–14, 507/0–16, 508/0–14 ,615/3–5, 661/1–18 किता 7 रकवा 10 बीघा स्थित ग्राम बीलौठ तहसील नदबई को अन्य आराजी के साथ मालिकान अधिकारो का स्व. नवलसिंह से उनके मरणोपरान्त नामान्तकरण सं. 72 दिनांक 18.07.1957 से उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। उस समय प्रार्थी की आयु 9 वर्ष तथा विवादित नामान्तकरण सं. 77 स्व0 दौजी के नाम स्वीकृत करने के दिन 12 रही थी।
5. यह कि अल्प वयस्क की कृषि भूमि को किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। धारा 19 व 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार पूर्णतया निषेधित किया हुआ है। उसके अतिरिक्त स्व0 दौजी को प्रार्थी के पिता ने आराजी मुतनाजा का कोई भाग काश्त पर नहीं दिया है। उनके नाम जमाबंदी समस्त 2009 से सम्वत 2013 में इन्द्राज गैर मौरूसी कतई गलत अंकित किये है विधि एवं तथ्य विरूद्ध रहे है।
6. यह कि स्व0 दौजी के नाम जो गैर मौरूसी के इन्द्राज किये गये है। उनका कोई आधार कथित जमाबंदियों में स्पष्ट नही दिया गया है। इसलिये ये इन्द्राज गैर मौरूसी आरंभ से ही शून्य है काबिल गौर नही रहे है। इन गलत इन्द्राजात पर भरोसा कर राजस्व कर्मचारियों ने स्व0 दौजी के नाम खातेदार के इन्द्राज कतई गलत दर्ज किये हैं उसे कोई अधिकार खातेदारी प्रार्थी अल्प वयस्क के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकार नही रहा है स्व0 दौजी इस गांव का मूल निवासी भी नही रहा है। [illegible] हर से आकर बसे है।
7. यह कि स्व0 दौजी ने इन गलत खा[illegible] फायदा उठाते हुये विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा को [illegible] के नाम खातेदारी की प्रविष्टियॉ करा दी हैं तथा उसका निधन होने पर उ[illegible] हिस्सा आराजी पर उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:11 IST
Reason: SelfAttested

वारिसान अप्रार्थीगण सं. 7 से 16 के नाम इन्द्राज खातेदार हो गये है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के नाम इन्द्राज खातेदारी कतई गलत है विधि विरूद्ध है निरस्तनीय है।

8. यह कि इन गलत इन्द्राजात के आधार पर अब अप्रार्थीगण सं. 1 से 16 विवादित आराजी पर जवरन कब्जा करना चाहते है। तथा प्रार्थी को खातेदारी अधिकारो से इनकार हो रहे है। उन्होने दिनांक 10.10.2017 को विवादित आराजी से प्रार्थी के अधिकारो से इनकार करते हुये आराजी पर जवरन कब्जा करने की धमकी दी है। अब गलत इन्द्राज व इनकारी अप्रार्थीगण से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसलिए प्रार्थी न्यायालय श्रीमान से यह घोषणा कराने का अधिकारी है कि आराजी वर्णित खण्ड सं. 2 प्रार्थना पत्र का प्रार्थी खातेदार काश्तकार काबिज है अप्रार्थीगण का इस आराजी से कोई सम्बन्ध नही है उनके नाम इन्द्राज खातेदारी गलत है। निरस्तनीय है।

9. यह यह कि अब फिर दिनांक 30.10.2017 को मौके पर आकर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को खुल आम धमकी दी है। कि अब हम अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर जवरन कब्जा करेंगे प्रार्थी को आराजी मुतनाजा से बेदखल करेगें तथा आराजी को अन्यत्र हस्तान्तरण करेगे अगर अप्रार्थीगण अगर प्रार्थीगण इस धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थी को ऐसी हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी नकद धन राशि से नही हो सकेगी। वदी वजह प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराने का अधिकारी है।

10. यह कि प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना है कि–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल दावा पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण आराजी वर्णित खण्ड संख्या 2 प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप नही करें तथा आराजी मुतनाजा का अन्यन्त्र किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नही करे मौका व रिकार्ड व यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किये गये। अप्रार्थीगण स. 1 लगात 4 व 7 लगायत 11 व 13 की और से श्री जगदीशचन्द्र एण्डवोकेट उपस्थित हुऐ। शेष अप्राथी स. 5, 6 ,12,14 लगायत 17 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थगण स. 1 लगात 4 व 7 लगायत 11 व 13 की और जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 01 में वर्णित प्रा. पत्र दावा पेश करना स्वीकार है शेष विवरण सफलता वावत् मनगढन्त व मौके के वि[illegible] के कारण राजस्व रिकार्ड से अनमेल होने के आधार पर स्वीकार नही है।
2. यह कि आराजी मुतनाजा ग्राम [illegible] है। इसके अलावा और भी आराजी ग्राम बीलौठ में गैरसायलानों की मौजूद है तथा वादी प्रार्थी का इस वर्णित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। यह आराजी गैरसायलानो के पूर्वजो की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.

गैरमोरोसी की आराजी है। जिस पर गैरसायलान काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा कानूनी हिसाब से गैरमोरासी से खातेदारी अधिकार गैरसायलानों को इन्तकाल सं. 77 से आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा हुकमन की गयी है। जिसका उदाहरण जमाबंदी संवत 2009 लगायत 2012 खाता सं. 4 , 22 ,33 ,131 ,176 ,277, व जमाबंदी संवत 2013 लगायत 16 खाता सं. 5 व 36 से बाखूबी सिद्ध है। इसलिए विवरण रिकार्ड व मौके के विपरीत हाने के कारण स्वीकार नही है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 03 का विवरण खण्ड (क) व (ख) रिकार्ड संबंधी होने कारण स्वीकार है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 04 का विवरण असत्यता के आधार पर होने के कारण व रिकार्ड व मौके के विपरीत होने के कारण व स्वीकार नही है। इन्तकाल नं.72 द्वारा आराजी नही मिली है। इनको नवल के मरणोपरांत मिली हुयी आराजी पर आज भी वादी काबिज है। अदालत को भ्रमित कर इन्तकाल नं. 77 में दयौजी पुत्र कंचन को मिली आराजी हुकमन आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा जों न्यारानूर संबत 2009 से जमाबंदी अंकन व संबत 2004 से खसरा गिरदावरी अंकन के आधार पर कब्जे काश्त का स्पष्ट अंकन है जिसे मौखिक साक्ष्य से झुंठलाया नही जा सकता । जिसे प्राप्त करने का वादी प्रार्थी का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वादी प्रार्थी सिर्फ नवलसिंह पुत्र छुटटन की आराजी पर ही विरासतन अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।इस अधिकार को भी वादी सायल द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर एकमात्र वारिस का हक लिया है। जबकि नवलसिंह के तीन पुत्र थे पूरनसिंह व भीमसिंह व रूपसिंह जिसमें रूपसिंह भी लावल्द विला औलाद फौत हो गया तथा भीमसिंह आज भी अन्य प्रान्त में (मध्यप्रदेश) में रह रहा है। जिसे हक से महरूम किया जा रहा है। और इन्तकाल नम्बर 72 के द्वारा नम्बरदारों से मिलकर पुष्टि की गयी है। जो काविल गौर अदालत है। विरासतन हक में सभी पुत्रो का कानूनी वैधानिक अधिकार होता है। जिसे एक मात्र वादी सायल द्वारा प्राप्त कर अवैधानिक रूप दिया गया है। जो काबिल गौर अदालत है। जो ज़माबंदी संवत 2009 लगायत 12 के खाता सं. 1 से बाखूबी सिद्ध है। इसलिए विवरण मद सं. 4 स्वीकार नही है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 का विवरण विपरीत रिकार्ड बताना गलत है। दौजी पुत्र कंचन की गैरमरौसी की आराजी जिस पर दौजी मृतक के इन्द्राज संवत 2004 से राजस्व रिकार्ड में बदस्तूर चले आ रहे है। ऐसी सूरत में राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत् कानूनी अधिकार खातेदारी वावत प्राप्त करने का गैरसायलानो के पूर्वजो को हुकमन आदेश आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा प्राप्त हो चुका है। जो काबिल गोर अदालत है। प्रा. पत्र जो विवरण वर्णित किया गया है। वह स्वीकार नही है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 07 जिस प्रकार वर्णित है, वह सोची समझी साजिश है, तथा खातेदार को अन्तकरण करने [illegible] के विरूद्ध है। जो कि राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न प्रतिपादित सिद्धांतो [illegible] है। इसलिए विवरण स्वीकार नही है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 0[illegible] किया गया है। गैरसायलान संवत 2005 से वर्णित आराजी पर काबिज है जिसक[illegible]बूत रिकार्ड से साबित है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:11 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]क्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

कब्जा काश्त खसरा गिरदावरी से साबित है। जिसे जमाबंदी संबत 2009 लगायत 2012 व संवत 2013–16 व 2017 से 21 व 2021 से 2024 से गैरसायलान का हक व हकूक कानूनी रूप से तहरीर व अंकित है। विपरीत रिकार्ड के कथन स्वीकार नही है।

8. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 09 धमकी बाबत मनगढन्त विवरण होने के कारण व प्रार्थना पत्र की मद सं. 10 वादी सायल के हक में प्राइमाफेसी केस न होकर 64 साल बाद प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन बताना वादी सायल का नितान्त गलत है जो स्वीकार नही है। तथा प्रार्थना वादी सायल मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने वावत् स्वीकार नही है। क्योकि प्रार्थी वादी का आराजी मुतनाजा से कोई संबंध व सरोकार नही है। तथा बिना वजह प्रतिवादीगण गैरसायलानों को ऋण आदि की सरकारी सुविधा लेने से रोकने वावत् दावा व प्रार्थना पत्र वादी प्रार्थी सायल द्वारा गैरसायलानों के विरूद्ध किया गया है। मात्र दावा क आधार पर बिना रिकार्ड व कब्जे के प्रार्थी सायल कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।क्योकि प्रार्थी सायल कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। क्योकि प्रार्थी सायल नवलसिंह पुत्र छुटटन सिंह जाति जाट की आराजी में ही हक व हकूक लेने का अधिकारी है। दौजी पुत्र कंचन की आराजी में नवलसिंह के वारिसान लेने के अधिकारी नही है। क्योकि नवल के जीवनकाल में ही दौजी पुत्र कंचन व हैसियत गैरमोरासी दार खातेदार काश्तकारी संवत 2004 से रिकार्ड व कब्जे से बखूबी सिद्ध है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। इसलिए स्वीकार नही है।

अतः प्रार्थना है कि जबाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी सायल मय खर्चा 10,000 रूपया बिना वजह परेशानी के आधार पर खारिज फरमाया जावे व खर्चा मुकदमा वादी प्रार्थी से गैरसायलान अप्रार्थीगण को दिलाया जावे।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2071 से 2074 वाके ग्राम बिलौठ किता 6, नकल फोटो प्रति मिलान क्षेत्र. सम्वत 2028 वाके ग्राम बीलौठ, नकल जमाबंदी सम्बत 2013 वाके ग्राम विलौठ वाके ग्राम विलौठ , नकल जमाबंदी सम्बत 2013 वाके ग्राम विलौठ खेबट खतौनी वाके ग्राम विलौठ, नकल जमाबंदी सम्बत 2017 लगायत 2021 वाके ग्राम विलौठ वाके ग्राम विलौठ,

नकल जमाबन्दी संवत 2021–2024 वाके ग्राम बीलौठ, नकल फोटो प्रति नामान्तकरण स. 77 वाके ग्राम बीलौठ, नकल फोटो प्रति रिटायरमैन्ट पी.पी.ओ. आदेश प्रार्थी, नकल फोटो प्रति हाई स्कूल का प्रमाण पत्र सन 1964 तहसील नदबई पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:11 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल/अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब [illegible] में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल मिलान क्षेत्रफल 2028 एवं नकल [illegible] 09.2001 से 31.08.2020 वाके ग्राम बिलौठ नकल जमाबंदी खैवट खतौनी [illegible] 2009 [illegible] के ग्राम विलौठ नकल जमाबंदी खैवट खतौनी सम्वत 2021 वाके ग्राम बिलौठ नकल [illegible] बंदी खैवट खतौनी सम्वत 2017 नकल दाखिला खारिज सं. 77, 72 वाके ग्राम बिलौठ नकल खसरा गिरधावरी नं. 413, 490 507, 508 ,615 ,661 ,662, 131,650,680, 130 सम्वत 2010 ल. 13 वाके ग्राम बिलौठ एवं

नकल खसरा गिरधावरी सम्वत 2014 लगायत 25 खसरा नम्बरान 130, 131 , 413 , 490 , 507, 508, 615 , 661, 662 ,650 ,680 वाके ग्राम बिलौठ पेश किये गये ।

उभय पक्षकरान के विद्वान वकीलो की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी पूरनसिंह द्वारा दावा घोषणात्मक खातेदारी का पेश किया गया है। जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 पेश किया है। जिसमें विवादित आराजी मद सं. 2 प्रार्थना पत्र वाके ग्राम बिलौठ तह0 नदबई पर स्थित है। वादी का जन्म 08.06.1948 को हुआ उक्त विवादित आराजी उनके पिता स्व0 नबलसिंह की घरू खैवट व खुदकाश्त की आराजी रही है। विवादित आराजी हमारी खैवट है। प्रतिवादी गैरमौरूसी गलत रूप से अंकित हुई है। उन्हें कोई किसी प्रकार अधिकार प्राप्त नही होते क्योकि खातेदारी दर्ज करने के समय वादी की उम्र महज 12 वर्ष रही है। यानि इन्तकाल सं0 77 दिनांक 08.08.1960 को स्वीकृत करते समय वादी अल्प वयस्क रहा है। तथा धारा 46(1)आर0टी0ए0 के प्रावधानो के अनुसार अल्प वयस्क व विद्यार्थी की भूमि पर अन्य किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा के लिए दावा करने की कोई अवधि आर0टी0ए0 में नही है। जब प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी अधिकारो से इंकार करते हुए बेदखल करने की धमकी दी जावे तब ही इन्द्राज दुरूस्ती हेतु दावा किया जाता है। चाहे इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में कितने वर्ष क्यो न हो रहे हो जैसा कि 1981 आर0आर0डी0 17(बी0) में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर स्पष्ट रूप से माना है कि वादी आराजी पर निरन्तर बिना किसी रूकावट के कब्जे काश्त चला आ रहा है। और गैर मौरूसी कृषक नही है तो उन्हे खातेदारी अधिकार नही मिलते हैं। यह है कि **prigin of entires** साबित करना है कि किस कानून प्रावधान में प्रतिवादी को अधिकार खातेदार प्राप्त होते है। प्रतिवादी द्वारा अपने जबाब में भी यह कुछ भी स्पष्ट नही किया जबकि वादी के पिता खुद काश्त होल्डर रहे है उन्हे धारा (5) व 29(2) राज0 जिम्मेदारी व विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानो के और मालिक काश्तकार अधिकार प्राप्त हुये थे जो वादी को विरासत में मिले है। प्रतिवादीगण जब गैरमौरूसी पट्टे अंकित किये है। तब पूरनसिंह वादी अल्प वयस्क **minor** रहा है। जो इन्द्राज गैर मौरूसी व उसके वाद खातेदारी आरम्भ से ही शून्य रहे है। इसलिए उनसे कोई अधिकार खातेदारी प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं होते है।नामातंकरण व उसके आधार पर की गई प्रविष्टियां अधिकार के प्रलेख नही है। व इन्द्राजात खातेदारी कोई स्वत्व का प्रलेख नहीं होता है और केवल भी हाल इन्द्राज से साबित नही होता है जब जमाबंदी में पहले से प्रतिवादीगण के हक में और वाद के प्रतिवादीगण के हक में आये कैसे है। और वाद के इन्द्राज का कोई स्पष्टीकरण नही बताई है। तो हाल इन्द्राजात को सत्य नही कहा जा सकता है। और प्रथम दृष्टिया प्रकरण पूर्व के इन्द्राजात के आधार पर माना जाता है। जैसा कि 1975 आर0आर0डी0

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:11 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं... कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.

पेज 85 में माना गया है। प्रतिवादीगण मूल रूप से सालिमपुर कलॉ के रहने वाले है। इसलिए इनकी कोई पुतैनी खैवट ग्राम बिलौठ में नही है। उनके नाम इन्द्राज गैरमौरूसी राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर कराये गये है। तथा वादी की नाबालिगी व अध्ययन काल में कराये हैं धारा 46 राज0 काश्तकारी अधि0 के प्रावधानो के अनुसार नाबालिग को पट्टा नही कर सकता है। उसके नाम से की गई **subletting ab initio void mutation and entires are not a deed a title these are only prepared for funishing administration details** जैसा कि ए.आई आर. 2019 सुप्रीम कोर्ट , जी.एल.आर. 2013 (1) राज. पेज 452 , डी.एन.जे. सुप्रीम कोर्ट पेज 852 में वर्णित है। तथा इंतकाल सं. 77 जो दाखिला खारिज तह0 नदबई ने भरकर स्वीकार किया हैं वह आरम्भ से ही शून्य है। क्योकि तह0 को खातेदारी प्रधान करने का कोई अधिकार क्षेत्र नही होता हैं इसलिए उक्त नामांतकरण व उसके आधार पर की गई खातेदारी के इन्द्राज शून्य है। उनके आधार कोई अधिकार खातेदारी प्रतिवादीगण को प्राप्त नही होते है। प्रथम दृष्टिया इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम गलत है। दाखिला खारिज सं. 77 की अपील भी वादी ने माननीय जिला कलक्टर महोदय के समक्ष की हुई है। 30 वर्ष से अधिक पुराना अभिलेख वादी के हक में इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये नये अभिलेख से अधिक प्रभावशाली है। जैसा कि डी.एन.जे. 2020(8) राज. पेज 584 काबिल गौर अदालत इस कथित दाखिला खारिज का कोई महत्व नही है। इसप्रकार से उपरोक्त विवादित आराजीयात का जब तक मैरिट पर साक्ष्य व सबूत लेकर तय नही हो जाते है। तब तक विवादित आराजीयात की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति व रहन मुन्तकिल बेचान आदि करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया है। उसमें विवादित आराजी वाके ग्राम बिलौठ होना बताया है। जिस पर प्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। क्योकि गैरसायलान के पूर्वजो की गैरमौरूसी की आराजी है। जिस पर गैरसायलान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा कानून के हिसाब से गैरमौरूसी से खातेदारी अधिकार अप्रार्थीगण को इन्तकाल सं. 77 से आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा हुक्मन से की गई है। जिसका अंकन जमाबंदी सम्वत 2009 ल0 12 तथा जमाबंदी सम्वत 2013 ल0 16 में रिकार्ड में बखूबी साबित है। इंतकाल नं0 72 द्वारा आराजी नही मिली है। इनको नबल के मरणोपरान्त मिली हुई आराजी पर आज भी वादी काबिज है। अदालत को भ्रमित इंतकाल सं. 77 में दौजी पुत्र कंचन को मिली आराजी जो आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा न्यायानूर से सम्वत 2009 से जमाबंदी अंकन व सम्वत 2004 से खसरा [illegible] पर कब्जे काश्त का स्पष्ट अंकन है। जिसे मौके साक्ष्य से झूठलाया नही जा [illegible] वादी प्रार्थी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वादी [illegible] की आराजी पर विरासतन अधिकार प्राप्त की जा सकती है। [illegible] राजस्व कर्मचारियो से मिलकर एकमात्र वारिस का हक लिया है। जबकि नबलसिंह के तीन [illegible] थे पूरनसिंह, भीमसिंह, रूपसिंह जिसमें रूपसिंह लाबल्द विला औलाद फौत हो गया है। भीमसिंह जो आज भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

मध्यप्रदेश प्रान्त रह रहा है। जिसके हको से महरूम किया जा रहा हैं और इंतकाल सं. 72 के द्वारा नम्बरानो को पुष्ठि की गई है। जो काबिल गौर अदालत है। विरासत हक में सभी पुत्रो का कानूनी वैधानिक अधिकार होता हैं जबकि एकमात्र वादी द्वारा खातेदारी प्राप्त करने का अविधानिक रू॰ स`दावा पेश किया । दौजी पुत्र कंचन की गैरमौरूसी की आराजी जिस पर दौजी मृतक के इन्द्राजात सम्वत 2004 से राजस्व रिकार्ड में बदस्तूर चले आ रहे है। इसी स्थिति में आर.टी.ए के तहत कानूनी अधिकार खातेदारी बावत् आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा प्राप्त आदेश से हो चुका है। गैरसायलान का सम्वत 2005 से लेकर सम्वत आज दिनांक तक कब्जा काश्त रही है। जो खसरा गिरधावरी से साबित है। उक्त विवादित आराजी से प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा हैं उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार है। केवल मात्र दावा बिना रिकार्ड व कब्जे के आधार पर प्रार्थी को किसी प्रकार की खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। क्योकि प्रार्थी सायल नबलसिंह पुत्र छुटटन की आराजी में हक लेने का अधिकारी है।दौजी पुत्र कंचन की आराजी में नबलसिंह के लेने के वारिसान नही है।क्योकि नबलसिंह के जीवनकाल में दौजी पुत्र कंचन व हैसियत गैरमौरूसी खातेदार काश्तकार सम्वत 2004 से व रिकार्ड व कब्जे से बखूबी साबित हैं इसलिए प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में न होकर अप्रार्थीगण के हक बखूबी साबित हैं अतः जारीशुदा स्थगन आदेश खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षकरान के विद्वान वकीलो की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि :–

1. <u>प्राईमाफेसी केस</u>– प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. के तहत् पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है। जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है । आराजी खसरा नम्बरान 602/0.15 , 702/0.05 , 703/0.23 , 719/0.13 , 720/0.11 , 914/0.56 , 915/0.01 वाके ग्राम बीलौठ तहसील नदबई का अप्रार्थी खातेदार काश्तकार काबिज है। उक्त विवादित आराजीयात स्व0 नबलसिंह के मरने के बाद नामातंरण सं. दिनांक 18.07.1957 से उत्तराधिकार में प्राप्त किया जाना बताया है। तथा उस समय प्रार्थी की आयु 9 वर्ष तथा विवादित आराजी नामातंरण सं. 77 स्व0 दौजी के नाम स्वीकृत करने के दिन 12 वर्ष आयु रही होना बताया है। तथा अल्प वयस्क की कृषि भूमि को किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकारी प्राप्त नही होते है। धारा 19 व 46 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अनुसार पूर्णतया निषेध किया हुआ है। इस प्रकार दौजी के नाम से जो गैर मौरूसी के इन्द्राज किये हुए है। जो [illegible] होना बताया है। तथा गलत इन्द्राजात होने के कारण दौजी ने विवादित आ[illegible] 2 हिस्से को अपने भाई चिम्मन के नाम खातेदारी प्रविष्ट क[illegible] के बाद उसके वारिसान के नाम इन्द्राजात कराये गये [illegible]जात होना बताया गया है। इस प्रकार विवादित आराजी पर गलत इन्द्राजात अप्रार्थी[illegible] के नाम चल रहे है। जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.

पर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की घोषणा चाही है। उपरोक्त बिन्दुओ का निस्तारण दावा में तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान के साक्ष्य लेकर सुनवायी के बाद किया जावेगा। तब तक विवादित आराजीयात वाद की बहुल्यता को रोकने के लिए एवं दावा की विषयवस्तु को मैरिट तक सुरक्षित रखने के लिए रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित है।

2. सुविधा का संतुलन :– प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में है।

3. अपूर्ण क्षति :– चूंकि प्राथीगर्ण द्वारा घोषणात्मक दावा पेश किया है। जिसमें अपना हक चाहा है। अगर उक्त विवादित आराजीयात का फिर से बेचान तथा आराजी खुर्द –बुर्द होती है तो दावे के निस्तारण में अनावश्यक पेचीदगी होगी, तथा बेजा मुकदमे बाजी बढेगी, तो अपूर्ण क्षति भी प्रार्थी को होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बरान 602/0.15, 702/0.05, 703/0.23, 719/0.13, 720/0.11, 914/0.56, 915/0.01 वाके ग्राम बीलौठ तहसील नदबई ,पर जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 03.11.2017 को इस आशय के साथ कन्फर्म किया जाकर अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात की दावे के निस्तारण तक रहन वय मुन्तकिल नही करने तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर नदबई

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:11 IST
Reason: SelfAttested